न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 4 / 2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025 / 49

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. अरविन्द कुमार पुत्र बद्रीलाल चौधरी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा 2. शोभालाल पुत्र मांगीलाल चौधरी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा 3. नन्दलाल पुत्र लालुराम गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर 4. कविता पत्नि हरिशचन्द्र टेलर निवासी रायपुर तहसील रायपुर		1. राधेश्याम पुत्र बालुराम झंवर (महाजन) निवासी रायपुर हाल निवास महावीर ट्रेक्टर्स एण्ड कम्प्रेसर्स, आर्य समाज मन्दिर रोड़, भीलवाड़ा 2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. हरिशचन्द्र टेलर, प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन रंगरेज, विपक्षी अधिवक्ता
3. विपक्षी संख्या 2 एकपक्षीय

–: निर्णय :– दिनांक 25/5/26

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात सख्या 3480 रकबा 0.12 हेक्ट आराजी सख्या 3479 रकबा 0.01 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हेक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 137 पर दर्ज होकर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी सवत् 2075 से 2078 मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है।

02. प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाडी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली आम सड़क से होकर आगे विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 3496 व 3494 की पूर्वी पालीयों पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित हैं। और इसी रास्ते से प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के पूर्व खातेदारान भी इसी रास्ते से होकर आवागमन करते रहे हैं जिसका अंकन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी किया गया हैं। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने का कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौके पर मौजुद नहीं हैं। और प्रार्थीगणों की भूमिया चारों तरफ से खातेदारी की भूमियों से गिरी हुई हैं।

03. विपक्षी ने सन् 2015 में थौहरों की बाड़ को काटकर कच्चे पत्थर चुनने लगे, इस पर ग्राम पंचायत रायपुर में उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत् तो प्रार्थीगण ने धारा 251 आर०टी०एक्ट के तहत आवेदन किया, इस पर रास्ता खोलने का आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया। जिसके प्रकरण संख्या

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

01/2015 निर्णय दिनांक 20.07.2015 होकर बअनवान कविता वगैरा बनाम शांतिलाल वगैरा हैं। इसकी अपील विपक्षी राधेश्याम ने ए०डी०एम० साहब भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत की। जिसके प्रकरण संख्या 50/2015 होकर बअनवान राधेश्याम झंवर बनाम कविता टेलर व अन्य हैं। जिसमें पत्रावली को आंशिक रूप से स्वीकार किया ज़ाकर तहसीलदार साहब रायपुर को रिमाण्ड किया गया। व निर्देश दिया गया कि ग्राम रायपुर की आराजी सख्या 3496, 3494. 3483 का स्थल निरीक्षण करे और यदि प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की आराजी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो, तो प्रत्यर्थीगण को धारा 251ए राजस्थान टेनन्सी एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय से रास्ते के लिये दाद हासिल करने हेतु सूचित करें। इस पर तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा दिनाक 06.07.2016 को तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा मय पटवारी हल्का एवं गिरदावर सर्कल के साथ मौका देखा गया, जिसमें प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 3479 व 3480 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं पाया गया। जिस पर उन्होंने ए०डी०एम० साहब के आदेश की पालना में दिनांक 26.07.2016 को निर्णय पारित कर हम प्रार्थीगण को सूचित किया और विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया।

04. प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 01 ने उनकी अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 3496 व 3494 की पूर्वी मेड पर तथा आराजी संख्या 3494 की उत्तरी पाली पर जबरन ताकत के बल पर पक्की दीवार का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया, और प्रार्थीगण के रास्ते को सदा के लिये बन्द कर दिया हैं। जिससे प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे है। जिससे उक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करवाया जाकर खुलवाया जाना आवश्यक हो गया है।

05. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3480 व 3479 में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता जो ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली आम सड़क से होकर आगे विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 3496 व 3494 की पूर्वी पालीयों पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित हैं को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे तथा रास्ते का खुलासा करवाया जावें। व विपक्षी संख्या 1 को पांबद करवाया जावें कि उक्त वर्णित रास्ते में विपक्षीगण कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नही करें और रास्ते को सदैव खुला रखे। रास्ते को भविष्य में कभी बन्द नही करें।

06. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 10.02.2026 को की गई एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

07. प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आस 3496 व 3494 की पूर्वी बाली पर 15 फिट चौडाई में न तो कभी था तथा न ही वर्तमान में हैं। विपक्षी की आराजी के चारो ओर पत्थर की कोट वर्षो पुरानी बनी हुई है। सन 2016 में विपक्षी की आराजियात की पत्थर की कोट कहीं कहीं से गिर जाने से विपक्षी ने दुबारा बनाई हैं। प्रार्थीगण ने उक्त आराजियात को क्रय किया गया है तथा उक्त आराजियात में आवागमन का रास्ता गंगापुर सडक से लगती हुई बिलानाम आ.स. 3483 से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

होकर जाता हैं जो आ.स. 3481 की पश्चिमी पाली पर बने हुए रास्ते से होकर प्रार्थीगण की आराजी में जाता हैं जो मौके पर चालु हैं जिससे प्रार्थीगण व उनके पूर्व खातेदारान अपनी आराजी में आवागमन कर काश्त कर काश्त लाभ लेते चले आ रहे हैं। पूर्व में प्रार्थीगण व आ.स. 3481 के खातेदारन ने विपक्षी की आराजीयात मे से आवागमन के रास्ते के लिए ग्राम पंचायत में प्रार्थनापत्र पेश किया था तथा ग्राम पचायत में अपने रसूख का इस्तेमाल कर विपक्षी की आराजी में रास्ता बता दिया था जिसकी विपक्षी द्वारा अपील करने पर अपील में गाम पंचायत के आदेश को निरस्त कर दिया था तथा अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी की आराजी में कोई रास्ता नहीं माना था। मौके पर आ.स 3481 की पूर्वी पाली पर रास्ता बना हुआ हैं परंतु प्रार्थीगण व आ.सं. 3481 के खातेदार ने आपस में दुरभि संधि कर उक्त रास्ते को सन 2016 में रास्ते में प्रवेश के स्थान पर पत्थर की दीवार बना दी तथा रास्ते को बंद कर उसमें जगह–जगह अवरोध डाल दिया ताकि विपक्षी की आराजी में सडक से नया रास्ता कायम कर सके। माननीय अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी की अपील स्वीकार की तथा विपक्षी की आराजी में कोई रास्ता नहीं पाया गया तथा वैकल्पिक रास्ता कसब में जांच करने व मोके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर धारा 251 आर०टी० एक्ट प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु सुचित करने के लिए कहा परंतु प्राथीगण ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर बिना विपक्षी को कोई जानकारी दिए एक पक्षीय रूप से कलेक्टर महोदय की गई। मौके पर प्राथीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता मौका रिपोर्ट तैयार कर ली गई जिसकी शिकायत विपक्षी द्वारा श्रीमान जिला महोदय को गई। मौके पर प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन कर रास्ता बिलानाम आ.स. 3483 में से होकर आगे आ.स. 3481 की पश्चिमी पाली पर रास्ता बना हुआ है और रास्ते के दोनो तरफ पत्थर की कोट बनी हुई है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन करते चले आ रहे हैं। विपक्षी की आराजी में प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता न तो कभी था व न ही वर्तमान में है। विपक्षी ने अपनी आराजी की पुरानी पत्थर की दीवार गिर जाने से पुन द्वारा बनाई है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आ.स. 3483 में स्थित रास्ते से होकर व आगे आ.सं. 3481 व इसके पास पडत पड़ी आराजी से आवागमन कर प्रतिवर्ष फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे हैं तथा आ.स. 3481 में स्थित रास्ते को आपस में दुरभि संधि कर बंद कर रखा है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर इस वर्ष फसल काश्त नहीं की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाए।

08. तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/4/2025/28 दिनांक 08.10.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. आराजी संख्या 3479, 3480 पर वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में बना हुआ नही है।

ii. मौके पर उक्त आराजी में आवागमन बन्द है।

iii. प्रार्थीगण रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क आराजी संख्या 2248 से विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 3494, 3496 में पूर्वी मेड़ पर रास्ता दर्ज कराना चाहते है जिससे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3480 के दक्षिण में रास्ता लेना चाहते है।

iv. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 3494 रकबा 0.26 है0 मे से रकबा 0.0164 है0 व आराजी संख्या 3496 रकबा 0.08 है0 में से रकबा 0.0092 है0 कुल रकबा 0.0256 है0 (256

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

वर्गमीटर) भूमि पूर्वी मेड़ पर 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहते है। उक्त भूमि की डीएलसी दर 1300000 / –रूपये प्रति हेक्टयर है जो साथ संलग्न है।

v. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है।

vi. उक्त आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है तथा विपक्षी ने बताया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 3482 मे से होते हुए बिलानाम आराजी संख्या 3483 किस्म गे.मु. नाला से होते हुए खातेदारी आराजी संख्या 2274, 2257 में होकर जा सकते है जबकि आराजी संख्या 3482 में मौके पर कोई रास्ता नही है।

09. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहॅुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहॅुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

10. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 3480 व 3479 में रास्ता चाहा गया है। विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3496, 3494 की पूर्वी पाली पर 15 फीट का रास्ता है। उक्त आराजियात प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.)रायपुर

है विक्रय पत्र में भी रास्ते का अंकन किया गया है। द्वितीय विक्रय पत्र में भी रास्ते का हवाला दिया गया है। वर्ष 2015 मे वादग्रस्त आराजियात किरण कुमार, शान्तिलाल के नाम पर थी। विपक्षी रास्ते पर थोहर की बाड़ हटाकर पत्थर चुनने लगे। ग्राम पंचायत रायपुर में प्रकरण संख्या 1/2015 दर्ज करके रास्ता खुलवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित प्रकरण की विपक्षी 1 द्वारा अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में की गई। विपक्षी की अपील आंशिक स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 3483 में बताए गए रास्ते का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251ए में प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्णय में की प्राप्त निर्देशो की पालना में मौका देखा गया एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं पाया गया। तहसीलदार रायपुर के निर्णय में धारा 251ए के तहत् रास्ता प्राप्त करने और मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रदान किए गए। उसके बाद विपक्षी ने आवागमन चालु रखने दिया। दिनांक 14.12.2024 को विपक्षी 1 ने रास्ते की पूर्वी मेड़ पर दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि भुगतान करने को तैयार है। विपक्षी ने प्रस्तावित रास्ते के अलामात नष्ट कर दिए। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन के लिए आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। बिलानाम रास्ता दर्ज होने पर प्रार्थीगणो की समस्या का सदैव के लिए निर्धारण हो जायेगा। सड़क सीमा के 40 मीटर के दायरे में वेसे भी निर्माण करना संभव नही है। विपक्षी के जवाब में आराजी संख्या 3481 से रास्ता सुझाया गया है लेकिन उक्त आराजियात में मौके पर चारदीवारी बनी हुई है व आगे आराजी संख्या 3483 गै.मु. नाला दर्ज रेकार्ड है। खातेदारी आराजी संख्या 3481 गै.मु. नाला आराजी संख्या 3483 से 5 से 7 फीट की उंचाई पर है व उसमें चारदीवारी निर्मित है। विपक्षी द्वारा आपत्ति में आराजी संख्या 3478 में रास्ता बताया था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा बार–बार विरोधाभासी तथ्य अंकित किए गए है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति को न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। धारा 251ए की मंशा अनुसार जहां उपयोग उपभोग संभव हो वह पुराने रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए।

11. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के पूर्व प्रकरण की दिनांक 06.07.2016 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया है कि गै.मु. नाला आराजी संख्या 3481 से गहरा बना हुआ है। सिजारी के कथन का रिपोर्ट में अंकन है। मौके पर नाला समतल है, चौड़ा है एवं ग्रेवल सड़क बनी हुई है। विपक्षी की आराजी में पत्थर की दीवार पहले से बनी हुई है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाए।

12. विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात के रास्ते का मौका विपक्षी की सूचित कर देखा गया था। किस्म गै.मु. नाले का रास्ते के रूप में दर्ज नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात तक पहॅुच का अन्य कोई निकटतम व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। विपक्षी द्वारा पूर्व के निर्णय की अपील की जा सकती थी। आराजी संख्या 3483 गै.मु. नाले से वर्षा नही होने पर आवागमन किया जा सकता है। प्रार्थीगण की आराजियात के चारो तरफ खातेदारी भूमि है। विपक्षी

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

द्वारा प्रस्तुत रास्ते के फोटोग्राप्स केवल नाले तक की आराजी तक पहुॅच के है इससे आगे किसी रास्ते में नही मिलते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

13. न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3479, 3480, के लिए रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 3494, 3496 से 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है। चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 2248 रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क में मिलता है। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 3479, 3480 पर वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में बना हुआ नही है। मौके पर उक्त आराजी में आवागमन बन्द है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 3494 रकबा 0.26 है0 मे से रकबा 0.0164 है0 व आराजी संख्या 3496 रकबा 0.08 है0 में से रकबा 0.0092 है0 कुल रकबा 0.0256 है0 (256 वर्गमीटर) भूमि पूर्वी मेड़ पर 4 मीटर चौड़ा है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है तथा विपक्षी ने बताया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 3482 मे से होते हुए बिलानाम आराजी संख्या 3483 किस्म गे. मु. नाला से होते हुए खातेदारी आराजी संख्या 2274, 2257 में होकर जा सकते है जबकि आराजी संख्या 3482 में मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण की आराजियात में पहुॅच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है।

14. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 3494, 3496 में प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौड़ाई में आराजी संख्या 3494 में से रकबा 164 वर्गमीटर व आराजी संख्या 3496 मे से 92 वर्गमीटर भूमि कुल रकबा 256 वर्गमीटर है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण को आवागमन के लिए 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थीगण की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 4 मीटर चौड़ाई का कुल 256 वर्गमीटर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर–1300000/–रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 66560/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण विपक्षीगण

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

को भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित होने से स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3479 रकबा 0.01 है0, 3480 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 में पहुॅच हेतु ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 3494 रकबा 0.26 है0 भूमि मे से 4 मीटर चौड़ा 164 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 3496 रकबा 0.08 है0 मे से 92 वर्गमीटर भूमि पूर्वी पाली पर संलग्न नक्शानुसार 4 मीटर चौड़ाई में सार्वजनिक बिलानाम रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 66560/–(अक्षरे छासठ हजार पांच सौ साठ) रूपयें की राशि विपक्षी को भुगतान करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे। मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक बिलानाम रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा